

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़-312001; Ph&Fax :01472-241049; email : def.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2022 -23/ 7493

दिनांक : 3/11/2022

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय :- Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ 5 () वसु/मुवसं/2022 -23/3125 दिनांक 5.5.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भिक पत्र से लगाए गए आक्षेपो की पूर्ति की जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	यूजर एजेंसी द्वारा प्राप्त प्राप्त प्रस्ताव पार्ट-1 Online में 6.54 हैक्टेयर भूमि का डायवर्जन चाहा गया है एवं offline प्रस्ताव में 0.0805 हैक्टेयर का डायवर्जन चाहा गया है। अन्य डाटा भी मिलान नहीं खा रहे है। इस प्रकार Online एवं Offline प्राप्त प्रस्तावों में विरोधाभास है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों में संशोधन कर दिया गया है।
2	पार्ट-1 में यूजर एजेंसी द्वारा Offline प्रस्ताव में 5 नियमित एवं 9 अस्थाई रोजगार सृजन होना बतलाया गया है। जबकि Online प्रस्तावों में दोनों तरह के 4-4 पदों का रोजगार सृजन बताया गया है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों में संशोधन कर दिया गया है।
3	पार्ट-1 में Additional information Details में 31 PDF online uplodad की गई है। जबकि पार्ट-1 की हार्ड कॉपी के अनुसार 11 PDF ही संलग्न है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों में संशोधन कर दिया गया है।
4	डायवर्ट होने वाली Land की KML File पर Forest boundary superimpose करने पर वन सीमा Mismatch हो रही है।	धरातल पर वन सीमा की वस्तु स्थिति अनुसार विस्तृत गणना अनुसार क्षेत्र सही है।
5	पार्ट-1A में CA, DFL का प्राक्कलन 79,94,800/- का संलग्न है मगर CA Scheme project में यह राशि 7994500 ही ली गई है। वर्षवार व्यय राशि में भी असमानता है।	आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
6	औषधीय पौधों का एस्टीमेट 6,40,237/ रुपये प्रति हैक्टेयर लिया जाना चाहिये था जो 1061743 रुपये प्रति हैक्टेयर लिया गया है।	औषधीय पौधों का एस्टीमेट मॉडल अनुसार प्रस्तावित कर दिया गया है।
7	औषधीय पौधों का प्राक्कलन 0 year के अतिरिक्त 11 वर्ष का और लिया जाना था मगर प्रस्तुत प्राक्कलन 0 year के अतिरिक्त 12 वर्ष लिया गया है।	आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव में संलग्न समस्त अप्ण्डरटेकिंग, समस्त जी.टी. शीट/नक्शे एवं जमाबन्दी आदि प्रपत्रों पर उप वन संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर नहीं है।	अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए है।

संलग्न :- मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2022 -23/ 7494

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता, (प व स) अ.वि.वि.नि. लि., बेगूं को सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(विजय शंकर पाण्डेय)

उप वन संरक्षक,

चित्तौड़गढ़

दिनांक : 3/11/2022

उप वन संरक्षक,

चित्तौड़गढ़